न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री परशुराम धानका, आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 01/2022 (223 आर. टी. एक्ट)
आरसीएमएस संख्या :– 2022/52

उनवान

1. ताराचन्द पुत्र प्रेम जाति माली निवासी कस्बा नगर तहसील नगर जिला भरतपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

1. पदम } पुत्रगण प्रेम जातियान माली निवासीयान विजेशिया मौहल्ला कस्बा नगर तहसील
2. मंगल } नगर जिला भरतपुर।

..... वादी/ रेस्पोंडेंट ।

3. किशनदेई पुत्री प्रेम पत्नि राधाकिशन जाति माली निवासी देवी कॉलोनी ए केविन के पास बयाना तहसील बयाना जिला भरतपुर।
4. वत्तन पुत्री प्रेम पत्नि सम्पत } जाति माली निवासी गढ हिम्मत सिंह तह0 मण्डावर
5. सोनदेई पुत्री प्रेम पत्नि गंगाराम } जिला महुआ।
6. किशनलाल पुत्र कन्हैया जाति माली निवासी विजेशिया मौहल्ला कस्बा नगर तहसील नगर जिला भरतपुर।
7. रामकिशोर } जाति माली नि0 विजशिया मौहल्ला कस्बा नगर तहसील नगर जिला भरतपुर
8. लक्ष्मीनारायण }
9. लक्ष्मन पुत्र जगनी जाति माली निवासी विजेशिया मौहल्ला कस्बा नगर तहसील नगर जिला भरतपुर वारिस काविज जायदाद जगनी।
10. जोगेन्द्र पुत्र किशनलाल
11. नारायण पुत्र परभाती
12. प्रेमचन्द पुत्र परभाती
13. बालूराम पुत्र कन्हैया
14. बैनूराम पुत्र परभाती
15. वीरेन्द्र कुमार पुत्र किशनलाल

} जाति माली नि0 विजेशिया मौ0 कस्बा नगर तह0 नगर जिला भरतपुर।

16. सौनू पुत्र स्व0 गोकल
17. लक्ष्मन पुत्र स्व0 गोकल
18. संतोष पुत्र स्व0 गोकल
19. सत्तो पुत्री स्व0 गोकल
20. माया पुत्री स्व0 गोकल
21. मौना पुत्री स्व0 गोकल

} जाति माली निवासी विजेशिया मौ0 कस्बा नगर तहसील नगर जिला भरतपुर वारिस काविज जायदाद स्व0 गोकल पिता खुद।

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर
कोम्प–डीग

22. बीधू
23. बदले } पुत्रगण श्यामा जाति माली निवासी विजेशिया मौ0 कस्बा नगर तह0 नगर जिला
24. बबलू } भरतपुर वारिस काबिज जायदाद श्याम पिता खुद।
25. शारदा सैनी पुत्री विशनलाल
26. सुक्खो पत्नि श्रीहरी
27. सुनील पुत्र विशनलाल
28. हरप्यारी पत्नि विशनलाल } जाति माली निवासी विजेशिया मौ0 कस्बा नगर तहसील नगर जिला भरतपुर।
29. श्रीमान् तहसीलदार साहब तहसील नगर प्रतिनिधि राजस्थान सरकार
30. श्रीमान् सब रजिस्ट्रार साहब नगर तहसील नगर जिला भरतपुर।

..... प्रतिवादीगण रेस्पोंडेंट ।

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नगर दिनांक 09.03.2021 प्र.संख्या 85/19 उनवानी पदम बनाम ताराचन्द

राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर (राजस्थान)

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलाण्ट श्री नीरज कुमार वर्मा उपस्थित।
2. रैस्पो0 अनुपस्थित।

निर्णय दिनांक–22.06.2023

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नगर के निर्णय व डिक्री दिनांक 09.03.2021 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी/असल रैस्पो0 ने अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध प्रतिवादी/अपीलाण्ट एवं शेष रैस्पो0 इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी वाके कस्बा नगर तहसील नगर में स्थित है जो वादीगण एवं प्रतिवादीगण के कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी है। जिस पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण का नाम राजस्व रिकार्ड में मुताबिक हक व कब्जा अनुसार दर्ज हैं व अपने–अपने हिस्से अनुसार काबिज हैं। विवादित आराजी का अभी पक्षकारो के मध्य विभाजन नहीं हुआ है। अतः पक्षकारो के मध्य फसल को लेकर झगडा व मनमुटाव रहता है। अतः अब संयुक्त काश्त करना संभव नहीं हो पा रहा है। कुछ पक्षकार विवादित आराजी में से अच्छी–अच्छी आराजी का बेचान करने को उतारू हैं। यदि ऐसा हुआ तो नवीन व्यक्तियों को कब्जा देने में परेशानी होगी। अतः वाद प्रस्तुत कर विवादित आराजी का विभाजन करने का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से प्राथमिक डिक्री कर दिया। जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर
कैम्प–डीग

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बाबजूद सूचना रैस्पो0 अनुपस्थित रहें। अतः उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाकर, बहस अपीलाण्ट एक पक्षीय सुनी गयी।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमो के तथ्यो को दौहराते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलाधीन आदेश खिलाफ कानून व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत होने के कारण काबिल निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस ओर कतई ध्यान नहीं दिया कि प्रतिवादी संख्या 15 गोकल की निर्णय व प्राथमिक डिक्री से करीब एक साल पूर्व सन 2020 में ही मृत्यु हो चुकी है और किसी वारिसान को पत्रावली पर रिकार्ड पर लेने की कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश मृतक व्यक्ति के विरूद्ध पारित हुआ है। प्रकरण में हरप्यारी पत्नि स्व0 सोहनलाल को प्रतिवादी संख्या 22 के रूप में पक्षकार मुकदमा बनाया गया है जबकि इस मुकदमें में वर्णित विवादित आराजीयात में हरप्यारी पत्नि सोहनलाल नाम का कोई व्यक्ति सहखातेदार नहीं है और हरप्यारी पत्नि विशनलाल को इस मुकदमें में पक्षकार मुकदमा तक नहीं बनाया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट का कोई जवाब लिये बिना और बिना उसका जवाब बन्द किये व अपीलाण्ट की बिना सहमति के विधि विरूद्ध रूप से पक्षकारान की सहमति दर्शाते हुये और वादी की कोई साक्ष्य लिये बिना एवं किसी दस्तावेज पर प्रदर्श डाले बिना ही प्रकरण में प्राथमिक डिक्री पारित कर दी एवं अपने निर्णय में रिकार्ड व जमाबन्दी तक का कोई उल्लेख नहीं किया है। इसके अतिरिक्त उनका यह भी कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में किसी भी पक्षकार के कोई हिस्सा भी तय नहीं किये हैं, जो कि प्राथमिक डिक्री में आवश्यक थे। ऐसी सूरत में अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश कतई अपूर्ण व अस्पष्ट है। अंत में अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस अपीलाण्ट पर मनन किया। हम पाते हैं कि अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 29.10.20 में अंकित है कि प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 की ओर से वकील श्री चरन सिंह चौहान ने वकालतनामा प्रस्तुत किया। प्रतिवादी संख्या 05 लगायत 20 बाबजूद इत्तला सम्मन उपस्थित अदालत नहीं आने पर इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रतिवादी संख्या 04 की तलवी पुनः करायी जावें पत्रावली वास्ते जवाब व तलवी दिनांक 20.11.20 को पेश हो। परन्तु उक्त आदेशिका में कही भी यह स्पष्ट अंकित नहीं है उक्त प्रतिवादियों के सम्मन स्वयं पर तामील हुये/परिवारजनो पर तामील हुये अथवा चस्पांदगी से तामील हुये। नियम व न्यायिक दृष्टान्तो के आलोक में इसे समुचित तामील नही माना जा सकता है। इसके पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 09.03.2021 को बिना कोई जवाब व साक्ष्य लिये अथवा बन्द किये प्रकरण में प्राथमिक डिक्री पारित कर दी। जबकि आदेशिका पर केवल प्रतिवादी संख्या 04 की सहमति के हस्ताक्षर अंकित हैं। शेष किसी प्रतिवादी अथवा उनके अभिभाषक की सहमति के हस्ताक्षर आदेशिका पर अंकित नहीं है। इसके अलावा अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश में पक्षकार के हिस्से भी तय नहीं किये गये हैं। जबकि प्राथमिक डिक्री

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर
कैम्प-डीग

पारित करते समय पक्षकारो के हिस्से तय किया जाना आज्ञापक है। अपीलाण्ट ने हस्तगत अपील में यह भी आपत्ति की गयी है कि प्रतिवादी संख्या 15 गोकल का निधन अपीलाधीन निर्णय से एक वर्ष पूर्व हो चुका था। इसलिये भी अपीलाधीन निर्णय काबिले निरस्तनीय रहता है। उपरोक्त विवेचनानुसार हम अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार योग्य पाते हैं।

5. अतः आदेश है कि अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नगर के निर्णय व डिक्री दिनांक 09.03.2021 अपास्त किये जाते हैं एवं प्रकरण उपरोक्त तथ्यों की पृष्ठभूमि में उभयपक्ष को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये एवं मृतक पक्षकारो के विधिक वारिसान को रिकार्ड पर लेते हुये, पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है। उभयपक्षकारान को भी निर्देशित किया जाता है कि वह अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 31.07.2023 को वास्ते सुनवाई उपस्थित होवें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावे तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें।

6. निर्णय आज दिनांक 22.06.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(परशुराम धानका)
आर.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर